64

संख्या- /XXVIII-4-2016-75/2013

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 27 जुलाई, 2016

विषय – **आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5प/1/25/2016–17/10159, दिनांक 10.05.2016 एवं पत्र संख्या–10प/रा0का0/क्षय/86/2015/14126, दिनांक 30.06.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के संचालनार्थ द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 1,42,95,000/–(रूपये एक करोड़ बयालिस लाख पिचानवे हज़ार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युएल के अन्तर्गत एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जाय।
4. उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है अर्थात दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई

अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशक, चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-110-अस्पताल तथा औषधालय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0 सहित)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त, अलॉटमेंट आई0डी0 की प्रति सहित।

भवदीय,

/

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 705 (1)/XXVIII-4-2016-75/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त अनुभाग-1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. चिकित्सा अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

C:\Users\Lenovo\Desktop\Kusum-2016\NHM\G.O..docNRHM Budget